(4)

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 16–70/2016/पी–2/31 भोपाल, दिनांक / /2016

प्रति,

श्री शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल
तत्कालीन कार्यपालन यंत्री
माही परियोजना मुख्य बांध संभाग,
पेटलावद जिला झाबुआ, म.प्र.

द्वाराः– प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

विषयः–विभागीय जॉच विरूद्ध श्री शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला झाबुआ, म.प्र. म.प्र. ।

आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–14 के अंतर्गत विभागीय जॉच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। जिन अवचारों एवं कदाचारों के आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तावित है उनका विवरण आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र में दिया गया है तथा जिन दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर यह आरोप आधारित है उनका उल्लेख संलग्न अभिलेख सूची एवं गवाहों की सूची में दिया गया है।

2/– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–14 अंतर्गत एतद् द्वारा यह आरोप पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलेखों की सूची एवं गवाहों की सूची आपको भेजते हुए आपसे अपेक्षा है कि अधिरोपित आरोपों के विरूद्ध जो भी अभ्यावेदन या बचाव कथन देना चाहें उसे इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर शासन को प्रस्तुत करें।

यह भी सूचित करें कि :–

(अ) क्या आप स्वयं उपस्थित होकर कुछ निवेदन करना चाहते है।

(ब) क्या आप मौखिक जॉच कराना चाहते है।

(स) क्या आप अपनी ओर से साक्ष्य एवं अभिलेख आदि प्रस्तुत करना चाहते है। यदि हॉ तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।

3/– आपकी ओर से प्रतिवाद का लिखित अभिकथन समयावधि में प्राप्त न हो तो यह मानकर कि आपको अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

4/– कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

संलग्नः– 1. आरोप पत्र 2. अभिकथन पत्र
3. अभिलेखों की सूची 4. गवाहों की सूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग
भोपाल, दिनांक 08/12/2016

पृ. क्रमांक एफ 16–70/2016/पी–2/31

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. संचालक, डॉटा सेंटर, जल संसाधन विभाग, भोपाल। कृपया विभाग की वेबसाईट पर आरोप पत्रादि को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

8/12/16
उप सचिव
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग

C:\Users\hcl\Documents\KHAN—Application.doc

मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

आरोप पत्र विरूद्ध श्री शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल, कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला झाबुआ

जब आप दिनांक 25.03.2011 से दिनांक 24.09.2015 तक कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला झाबुआ के पद पर पदस्थ थे, उक्त अवधि में आपके व्दारा की गई अनियमितताओं हेतु आपके विरूद्ध निम्नानुसार आरोप अधिरोपित किये जाते है :–

माही परियोजना के अंतर्गत लाबरिया गांव के 82 भू–स्वामियों की सिंचित/असिंचित भूमि का अवार्ड दिनांक 08.03.2004 को पारित कर भुगतान कर किया गया। अवार्ड से असंतुष्ट कृषकों व्दारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश, सरदारपुर जिला धार के समक्ष रिफरेंश आवेदन प्रस्तुत किये गय । मान. न्यायालय व्दारा दिनांक 30.11.2012 को अधिनिर्णय पारित किया गया ।

उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में अपील/शासन पक्ष प्रतिरक्षण प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख अभियंता के आदेश क्रमांक 333/2/874/भू–अर्जन/2013 दिनांक 30.04.2013 द्वारा कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला झाबुआ को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया ।

आप प्रकरण मे शासन प्रतिरक्षण हेतु प्रभारी अधिकारी थे, आपके द्वारा मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रभारी अधिकारी के दायित्वों का सम्यक एवं समुचित निर्वहन नहीं करते हुए दिनांक 29.08.2013 से 30.11.2013 के मध्य विलम्ब से बिना उचित एवं संतोषजनक कारण बताए अपील प्रस्तुत की गई, जिसे मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2014 को खारिज किया गया । विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में दर्शाया गया है ।

इस प्रकार आपने म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कृत्य करते हुए अपने आपको म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

8/11/2016
(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

अभिकथन पत्र विरूद्ध श्री शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल, कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला झाबुआ

जब आप दिनांक 25.03.2011 से दिनांक 24.09.2015 तक कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला झाबुआ के पद पर पदस्थ थे, उक्त अवधि में आपके व्दारा की गई अनियमितताओं हेतु आपके विरूद्ध अधिरोपित आरोप का अभिकथन निम्नानुसार है :–

माही परियोजना के अंतर्गत लाबरिया गांव के 82 भू स्वामियों की सिंचित/असिंचित भूमि का अवार्ड दिनांक 08.03.2004 को पारित कर भुगतान कर किया गया। अवार्ड से असंतुष्ट कृषकों व्दारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश, सरदारपुर जिला धार के समक्ष रिफरेंस आवेदन प्रस्तुत किये गये । मान. न्यायालय व्दारा दिनांक 30.11.2012 को अधिनिर्णय पारित किया गया ।

प्रमुख अभियंता व्दारा उक्त निर्णय के विरूद्ध दिनांक 18.03.2012 को अपील प्रकरण शासन को भेजा गया । विधि विभाग व्दारा अपील की अनुमति दिनांक 04.04.2013 को जारी की गई । प्रमुख अभियंता के आदेश क्रमांक 333/2/874/भू–अर्जन/2013 दिनांक 30.04.2013 द्वारा कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला झाबुआ को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया ।

उल्लेखित 82 प्रकरणों में से 16 प्रकरणों–917/13, 907/13, 908/13, 909/13, 912/13, 913/13, 914/13, 915/13, 913/13, 918/13, 919/13, 921/13, 922/13, 925/13, 926/13 एवं 929/13 में अपील पर मा. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर व्दारा दिनांक 29.04.2014 को विभाग की अपील निम्न आधार पर खारिज कर दी गई :–

"In light of the aforesaid, as the delay has not been explained statisfactory, no sufficent cause is made out for condonation of the delay. The application for condonation of delay stands rejected. The state Government shall be free to proceed against those persons who are responsible for not filing the appeal in time. The appeal also stands dismissed. The other connected appeals also dismissed."

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 1657/न्याय/2014, दिनांक 01.07.2014 द्वारा इन 16 प्रकरणों में भू–अर्जन अधिकारी द्वारा किये गये भुगतान (दिनांक 08.03.2004) की राशि रूपये 32,38,158/– सूचित की गई । मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा कृषकों के पक्ष में पारित अधिनिर्णय दिनांक 29.04.2014 के परिपालन में रूपये 1,65,46,656/– के भुगतान की स्वीकृति म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. 333 / 2 / 981 /भू–अर्जन/2014/1731, दिनांक 22.06.2016 द्वारा प्रदान की गई ।

, दिनांक 04.04.2013 को शासन से अपील की अनुमति प्राप्त होने के बाद कार्यालयीन आदेश दिनांक 30.04.2013 द्वारा आपको प्रकरण में शासन प्रतिरक्षण हेतु प्रभारी

अधिकारी नियुक्त किया गया था । दिनांक 30.04.2013 के उपरान्त आपके द्वारा मान. उच्च न्यायालय में अपील दिनांक 29.08.2013 से 30.11.2013 के मध्य विलम्ब से बिना उचित एवं संतोषजनक कारण बताए मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रस्तुत की गई, जिसे मान. न्यायालय द्वारा उपर उल्लेखित अनुसार दिनांक 29.04.2014 को खारिज किया गया । स्पष्ट है कि आपके द्वारा न्यायिक प्रकरण मे प्रभारी अधिकारी के दायित्वो का सम्यक एवं समुचित निर्वहन नहीं किया गया ।

इस प्रकार आपने म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कृत्य करते हुए अपने आपको म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
जल ससाधन विभाग
मत्रालय, भोपाल

अभिलेखों की सूची

1. प्रमुख अभियंता के आदेश क्रमांक 333/2/874/भू–अर्जन/2013 दिनाक 30.04 2013
2. मान. उच्च न्यायालय खण्पीठ इन्दौर द्वारा कृषकों के पक्ष में पारित अधिनिर्णय दिनाक 29.04.2014
3. कार्यालय कार्यपालन यत्री, माही परियोजना मुख्य बाध सभाग, पेटलावद जिला झाबुआ के पत्र क्रमाक 1657/न्याया./2014, दिनाक 01.07.2014
4. म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र 333 / 2 / 981 /भू–अर्जन/2014/1731, दिनाक 22.08.2016

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

गवाहों की सूची

1. श्री एस.एस. डाबर, मुख्य अभियन्ता, नर्मदा तापी कछार, जल संसाधन मंडल, इन्दौर।
2. श्री एस.एस. रघुवंशी, (सेवानिवृत्त) अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन, धार ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग